भारत सरकार

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या *23

दिनांक 21 जुलाई, 2023 को उत्तर के लिए

आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं/सहायिकाओं को मानदेय का भुगतान

***23. श्री कृपाल बालाजी तुमाने:**
श्रीमती भावना गवली(पाटील):

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) आंगनवाड़ी केंद्रों में कार्यरत कार्यकर्ताओं/सहायिकाओं की राज्य-वार, विशेषकर महाराष्ट्र सहित, संख्या कितनी है और उन्हें वर्तमान में कितना मानदेय प्रदान किया जाता है;

(ख) ऐसे कामगारों की खराब कार्य दशाओं में सुधार लाने और मजदूरी में वृद्धि करने के लिए सरकार की त्वरित योजना क्या है;

(ग) क्या सरकार ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं/सहायिकाओं द्वारा अपने मानदेय को बढ़ाने हेतु किये जाने वाले विरोध का संज्ञान लिया है ओर यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त समस्या/मांग का समाधान करने और उन्हें सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करने के लिए जिसमें उनका मानदेय/मजदूरी में वृद्धि करना और संसदीय समिति की सिफारिशों को लागू करना शामिल है, क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ड.) कोविड-19 वैश्विक महामारी के दौरान ऐसे कार्यकर्ताओं/सहायिकाओं की मृत्यु के संबंध में आंकड़े क्या हैं और उनके परिजनों को कितनी मुआवजा राशि दी गई है?

उत्तर

श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी **महिला एवं बाल विकास मंत्री**

(क) से (ङ): विवरण सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

*****

"आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों/सहायिकाओं को मानदेय का भुगतान" के संबंध में 21.07.2023 को पूछे जाने वाले लोकसभा तारांकित प्रश्न संख्या 23 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क) वर्तमान में, देश भर में कुल 12,93,448 आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियां (एडब्ल्यूडब्ल्यू) और 11,64,178 आंगनवाड़ी सहायिकाएं (एडब्ल्यूएच) काम कर रहे हैं। एडब्ल्यूडब्ल्यू और एडब्ल्यूएच की संख्या का राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण **अनुलग्नक** में दिया गया है।

वर्तमान में, मुख्य आंगनवाड़ी केंद्रों पर आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों, लघु आंगनवाड़ी केंद्रों पर आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों और आंगनवाड़ी सहायिकाओं को क्रमशः रु. 4,500/- प्रति माह, रु. 3,500/- प्रति माह और रु. 2,250/- प्रति माह का मानदेय दिया जाता है।

एडब्ल्यूएच को प्रति माह रु. 250 और एडब्ल्यूडब्ल्यू को रु. 500 के निष्पादन से जुड़े प्रोत्साहन का भी प्रावधान है। इसके अलावा, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र अपने स्वयं के संसाधनों से भी इन पदाधिकारियों को अतिरिक्त मौद्रिक प्रोत्साहन/मानदेय का भुगतान कर रहे हैं।

(ख) एडब्ल्यूडब्ल्यू/एडब्ल्यूएच की कामकाजी स्थितियों में सुधार के लिए, सरकार ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

(i) **मानदेय:** 1 अक्टूबर, 2018 से, भारत सरकार ने मुख्य आंगनवाड़ी केंद्रों में एडब्ल्यूडब्ल्यू का मानदेय रु. 3,000/- से बढ़ाकर रु. 4,500/- प्रति माह; लघु-आंगनवाड़ी केंद्रों पर एडब्ल्यूडब्ल्यू का रु. 2,250/- से बढ़ाकर रु. 3,500/- प्रति माह; एडब्ल्यूएच का रु. 1,500/- से बढ़ाकर रु. 2,250/- प्रति माह कर दिया है; और एडब्ल्यूएच को प्रति माह रु. 250/- और एडब्ल्यूडब्ल्यू को रु. 500 के प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन की शुरुआत की गई। इसके अलावा, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र अपने स्वयं के संसाधनों से भी इन कार्यकर्ताओं को अतिरिक्त मौद्रिक प्रोत्साहन/मानदेय का भुगतान कर रहे हैं, जो अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग है।

(ii) **बुनियादी ढांचे में सुधार:** सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 (मिशन पोषण 2.0) के तहत वर्ष 2025-26 तक प्रति वर्ष 40,000 आंगनवाड़ी केंद्रों की दर से 2 लाख आंगनवाड़ी केंद्रों (एडब्ल्यूसी) को आकांक्षी जिलों में बेहतर/उन्नत बुनियादी ढांचे के साथ सक्षम आंगनवाड़ी के रूप में उन्नत किया जा रहा है। वर्ष 2022-23 में, 41,192 आंगनवाड़ी केंद्रों को अन्य बातों के साथ-साथ एलईडी और स्मार्ट शिक्षण और शिक्षण सहायता के साथ उन्नयन के लिए चिन्हित किया गया है। इसके अलावा, आंगनवाड़ी केंद्रों पर पेयजल सुविधाओं और शौचालयों की लागत बढ़ाकर क्रमशः रु. 10,000/- से रु. 17,000/- और रु. 12,000/- से रु. 36,000/- कर दी गई है। मनरेगा के साथ अभिसरण में आंगनवाड़ी केंद्रों के निर्माण के लिए, निर्माण लागत को 7 लाख रुपये से संशोधित कर 12 लाख रुपये प्रति यूनिट कर दिया गया है। पोषण और प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा (ईसीसीई) सेवाओं की प्रदायगी के महत्व को ध्यान में रखते हुए, आंगनवाड़ी सहायक की उपलब्धता के साथ सभी लघु आंगनवाड़ी केंद्रों को मुख्य/नियमित आंगनवाड़ी में अपग्रेड करने का निर्णय लिया गया है।

(iii) **पोषण ट्रैकर के माध्यम से आईटी का लाभ उठाना:** सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 (मिशन पोषण 2.0) के तहत आंगनवाड़ी केंद्रों पर वितरण सहयोग प्रणालियों को मजबूत करने और पारदर्शिता लाने के लिए आईटी प्रणालियों का लाभ उठाया गया है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा 1 मार्च 2021 को एक महत्वपूर्ण शासन उपकरण के रूप में 'पोषण ट्रैकर' एप्लिकेशन शुरू किया गया। आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों को स्मार्टफोन (लगभग 11 लाख) देकर तकनीकी रूप से सशक्त बनाया गया है। अब तक

13.9 लाख आंगनवाड़ी केंद्रों ने पोषण ट्रैकर पर पंजीकरण कराया है। पोषण ट्रैकर हिंदी और अंग्रेजी सहित 24 भाषाओं में उपलब्ध है। मोबाइल एप्लिकेशन ने आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले भौतिक रजिस्टरों को डिजिटल और स्वचालित कर दिया है जिससे उनके काम की गुणवत्ता में सुधार करने में भी मदद मिली है।

(iv) **पदोन्नति के अवसर:** मंत्रालय द्वारा जारी सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 दिशानिर्देशों के अनुसार, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों के लिए पदोन्नति के अवसरों को बढ़ाया गया है। आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों के 50% पद 5 वर्ष की अनुभवी आंगनवाड़ी सहायिकाओं की पदोन्नति से भरे जाएंगे और पर्यवेक्षकों के 50% पद 5 वर्ष की अनुभवी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों की पदोन्नति से, अन्य मानदंड पूरे करने की शर्त के अधीन, भरे जाएंगे।

(v) **क्षमता निर्माण:** मंत्रालय ने एक प्रशिक्षण कार्यक्रम का मसौदा तैयार किया है, जिसमें प्रशिक्षण का एक व्यापक मॉडल शामिल है, जिसमें मास्टर प्रशिक्षकों (अर्थात्, जिला अधिकारियों, ब्लॉक समन्वयकों और पर्यवेक्षकों) को निपसिड के माध्यम से प्रशिक्षित किया जाएगा, और मास्टर प्रशिक्षक सीधे ही क्षेत्र में सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों को प्रशिक्षित करेंगे। इसके अलावा, एनईजीडी पोषण ट्रैकर एप्लिकेशन के उपयोग के संबंध में आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों के लिए नियमित रूप से सीधे क्षेत्र स्तरीय प्रशिक्षण/ कार्यशालाएं आयोजित कर रहा है। देश भर के विभिन्न जिलों में कई दौर के वर्चुअल और भौतिक प्रशिक्षण आयोजित किए गए हैं।

(vi) **छुट्टी:** आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों को मातृत्व अवकाश की 180 दिनों की सवेतन अनुपस्थिति की अनुमति दी गई है। इसके साथ ही, 20 दिन की वार्षिक छुट्टियाँ भी स्वीकार्य हैं।

(vii) **वर्दी:** एडब्ल्यूडब्ल्यू/एडब्ल्यूएच को दो वर्दी (प्रति वर्ष साड़ी/सूट) के सेट का प्रावधान है।

(viii) **सामाजिक सुरक्षा बीमा स्कीमें:** आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों और सहायिकाओं को, 18 से 50 वर्ष के आयु समूह की एडब्ल्यूडब्ल्यू/एडब्ल्यूएच को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) के तहत रु. 2.00 लाख के जीवन बीमा (जीवन जोखिम, किसी भी कारण से मृत्यु का बीमा) और 18 से 59 वर्ष के आयु समूह की एडब्ल्यूडब्ल्यू और एडब्ल्यूएच को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत रु. 2.00 लाख (आकस्मिक मृत्यु और स्थायी पूर्ण विकलांगता)/रु. 1.00 लाख (आंशिक किंतु स्थायी विकलांगता) के दुर्घटना बीमा के बीमा लाभ प्रदान किए गए हैं।

अब, सरकार ने एडब्ल्यूडब्ल्यू/एडब्ल्यूएच को उनके बैंक खातों के माध्यम से पीएमजेजेबीवाई और पीएमएसबीवाई के तहत बीमा सुरक्षा प्रदान करने का निर्णय लिया है और प्रीमियम भुगतान के लिए निधि आंगनवाड़ी सेवा स्कीम के तहत निर्धारित लागत साझाकरण अनुपात पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी की जाएगी।

(ix) **प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत बीमा कवर:** आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियां और आंगनवाड़ी सहायिकाएं जो कोविड-19 संबंधित कार्यों में लगाई गई हैं, उन्हें कुछ शर्तों के साथ "प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज" के तहत 50 लाख रुपये का बीमा कवर प्रदान किया गया है।

(x) **प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन (पीएम-एसवाईएम):** राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से पात्र एडब्ल्यूडब्ल्यू/एडब्ल्यूएच को प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन (पीएम-एसवाईएम) पेंशन स्कीम, जो वृद्धावस्था में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए देश में असंगठित क्षेत्रों के लिए स्वैच्छिक और अंशदायी

पेंशन स्कीम है, के तहत स्वयं का नामांकन कराने के लिए प्रोत्साहित करने का अनुरोध किया गया है। स्कीम के तहत, 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर प्रति माह ₹3,000/- की सुनिश्चित पेंशन का लाभ उठाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा समतुल्य अंशदान के साथ लाभार्थी द्वारा निर्धारित आयु-विशिष्ट अंशदान किया जाएगा।

(ग) और (घ) आंगनवाड़ी सेवाएं एक केंद्र प्रायोजित स्कीम है और स्कीम का कार्यान्वयन, निगरानी और प्रबंधन संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा किया जाता है। इसलिए, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों के विरोध का संज्ञान लेते हुए, सरकार ने सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उचित कदम उठाने और यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक निर्देश जारी किए हैं कि विरोध के कारण आंगनवाड़ी केंद्रों में सेवाएं प्रभावित न हों। इसके अलावा, स्कीम के सुचारू और निर्बाध कार्यान्वयन के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से विरोध करने वाले संगठनों के साथ उपयुक्त जुड़ाव की कार्यनीति तैयार करने का अनुरोध किया गया है।

(ङ) कोविड-19 से लड़ने वाले स्वास्थ्य देखभाल कर्मियों के लिए बीमा स्कीम, **'प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज** (पीएमजीकेपी), सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं और निजी स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं, जो कोविड-19 रोगियों के सीधे संपर्क और देखभाल में रहे हैं और उनके प्रभावित हो सकने का जोखिम हो, सहित 22.12 लाख स्वास्थ्य देखभाल प्रदाताओं को 50 लाख रुपये का व्यापक व्यक्तिगत दुर्घटना कवर प्रदान करने के लिए 30 मार्च, 2020 को शुरू की गई थी।

12 जुलाई, 2023 तक, स्कीम के तहत आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के कुल 38 दावों का निपटान किया गया है और रु. 50,00,000/- प्रति दावे की दर से रु. 19,00,00,000/- की राशि संवितरित की गई है।

केंद्रीय स्तर पर कोविड-19 के कारण पेशे में या अन्यथा होने वाली मौतों का अलग-अलग डेटा नहीं रखा गया है।

****

दिनांक 21.07.2023 को पूछे जाने वाले लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. 23 का अनुलग्नक

एपीआईपी 2023-24 के अनुसार आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों और आंगनवाड़ी सहायिकाओं की संख्या			
क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियां	आंगनवाड़ी सहायिकाएं
1	आंध्र प्रदेश	55105	47493
2	बिहार	112094	103141
3	छत्तीसगढ	50197	43733
4	गोवा	1211	1186
5	गुजरात	51545	47781
6	हरियाणा	24269	22010
7	हिमाचल प्रदेश	18641	17793
8	जम्मू एवं कश्मीर	25900	25165
9	झारखंड	37797	35235
10	कर्नाटक	65703	58733
11	केरल	33115	32986
12	मध्य प्रदेश	95763	82020
13	महाराष्ट्र	93513	80902
14	ओडिशा	73351	65981
15	पंजाब	25984	21200
16	राजस्थान Rajasthan	60494	54216
17	तमिलनाडु	44070	39834
18	तेलंगाना	33923	28662
19	उत्तर प्रदेश	154342	132671
20	उत्तराखंड	14947	14947
21	पश्चिम बंगाल	104451	99509
22	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	720	689
23	चंडीगढ़	439	447
24	दादरा एवं नगर हवेली/दमन एवं दीव	405	337
25	लक्षद्वीप	59	59
26	दिल्ली	10434	10674
27	पुदुचेरी	740	781
28	अरुणाचल प्रदेश	6225	6225
29	असम	62050	56591
30	मणिपुर	11384	9875
31	मेघालय	5896	4630
32	मिजोरम	2244	2244
33	नागालैंड	3980	3980
34	सिक्किम	1308	1308
35	त्रिपुरा	10038	10038
36	लद्दाख	1111	1102
योग		**1293448**	**1164178**